

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।
आरोपी लवकुश एवं तिलक सिंह सहित अधिवक्ता श्री
रामवीर बघेल उपस्थित।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
आज दिनांक को फरियादी देवाराम उपस्थित।
इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि
उनके मध्य मीडियेशन की कार्यवाही से प्रकरण का निराकरण
होने की संभावना है। अतः प्रकरण मीडियेशन की कार्यवाही
हेतु भेजा जावे।

चूंकि उभयपक्षों के मध्य मीडियेशन के माध्यम से
प्रकरण का निराकरण होने की संभावना है अतः प्रकरण
मीडियेशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में भेजा जाता है। उभयपक्षों को
निर्देशित किया जाता है कि वह मीडियेशन की कार्यवाही हेतु
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री पंकज शर्मा के समक्ष
उपस्थित रहे।

प्रकरण मीडियेशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात् पेश
हो।

सही /—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जे०एम०एफ०सी० गोहद

पुनश्च

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।
आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री रामवीर बघेल
उपस्थित।

फरियादी देवाराम उपस्थित। फरियादी की पहचान
अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गई।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट प्राप्त अभिलेख में संलग्न
की गई।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द०प्र०सं० की धारा
320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत
कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का
अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि
आरोपी लवकुश पर भा०दं०सं० की धारा 504 एवं 325 तथा
आरोपी तिलक सिंह पर भा०दं०सं० की धारा 504 एवं

325/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। आरोपीगण पर आरोपित आरोप न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य हैं फरियादी देवाराम ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में हैं एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः वादविचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षोंको प्रकरण में राजीनामाकरने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी लवकुश को भा0दं0सं0 की धारा 504 एवं 325 तथा आरोपी तिलक सिंह को भा0दं0सं0 की धारा 504 एवं 325/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जे0एम0एफ0सी0 गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)